न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—132/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/132)

1. सीताराम पुत्र हजारीलाल
2. विजय खण्डेलवाल पुत्र सीताराम
3. संगीता खण्डेलवाल पुत्री सीताराम
4. सीमा खण्डेलवाल पुत्री सीताराम

समस्त निवासी खादी भण्डार वाली गली, रामगंज, अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. गुमानसिंह पुत्र दूदा
2. मु0 तीजी बेवा श्री दूदा

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम लोहागल, तहसील व जिला अजमेर।

3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.03.2021 राजस्व वाद संख्या 54/2006

उपस्थितः—

1. श्री जी0एस0 लखावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री एन0के0 जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2.
3. श्री विकास पाराशर राजकीय, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03.

निर्णय

दिनांकः—24.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 54/2006 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी संख्या 1 की पत्नी तथा अपीलार्थी संख्या 2 से 4 की माता श्री आशा द्वारा एक वाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए, प्रतिवादीगण उपस्थित आए, अपना जवाब प्रस्तुत किया तत्पश्चात प्रकरण वादी साक्ष्य में नियत किया गया, वादीया के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, प्रकरण वादी के गवाह की जिरह हेतु लंम्बित चलता रहा । वाद के विचाराधीन प्रतिवादी द्वारा वादीया आशा की मृत्यु होने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । तत्पश्चात् कोरोना महामारी के कारण वादीया आशा के मुख्त्यारआम जो कि वरिष्ठ नागरिक है, के द्वारा उक्त जानकारी अपने अभिभाषक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

को नहीं दे सके, तथा जानकारी दिए जाने के उपरांत समस्त कारण अंकित करते हुए एक प्रार्थना पत्र वादीया के वारिसान की ओर से कायममुकाम का प्रस्तुत किया गया जिसमें देरी का कारण भी अंकित किया गया तथा उपशमन को निरस्त करने की प्रार्थना की गई तथा उपखण्ड अधिकारी ने बहस सुनने के उपरांत अपने आदेश दिनांक 30.3.2021 के द्वारा कायममुकाम के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए वाद पत्र को खारिज फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 54/2006 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि आदेश दिनांक 30.03.2021 पारित होने के पश्चात आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 9.4.2021 को प्राप्त कर ली गई, तथा दिनांक 9.4.2021 के पश्चात कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा लोकडाउन लगा दिया गया, तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.6.2021 को छूट दी गई तत्पश्चात अपील प्रस्तुत करने हेतु अभिभाषक ने प्रार्थीगण को संदेश दिया, तत्पश्चात अपील तैयार करवा कर आज अविलम्ब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोरोना काल के दौरान मियाद विधि बाबत विलम्ब से संबंधित आदेश पारित किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 30.03.2021 को पारित करते हुए विवेचन कर विलम्ब बाबत जो कारण अंकित किए गए, उनका विवेचन किए बिना ही सरसरी तौर पर कारण को सदभाविक व उचित नहीं मानकर विलम्ब को क्षमा करने से इंकार कर दिया तथा वाद को खारिज कर दिया व आदेश दिनांक 30.03.2021 पारित कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत दिनांक 15.03.2020 से 14.03.2021 तक मियाद के मामले में स्वतः ही अवधि विस्तार हेतु जो विधि प्रतिपादित की, जो डी0एन0जे प्रथम 2021 (एस0सी) पेज 335 पर मुद्रित है उसे नजर अंदाज कर उपखण्ड अधिकारी ने अपने में निहित न्यायिक शक्तियों का दुरूपयोग किया है, तथा इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2021 विधि विरूद्ध होना साबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि प्रक्रियात्मक विधि को सारवान विधि पर अधिभावी प्रभाव नहीं देना चाहिए तथा विधि के जटिल तथा तकनीकी बिंदुओं पर प्रकरण को निस्तारित करने की बजाए गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए। इस बाबत विधिक दृष्टांत प्रस्तुत किए जाने के उपरांत भी बिना आदेश में अंकित किए बिना विवेक के जो आदेश उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने पारित किया है वह अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें प्रकरण संख्या 54/2006 में पारित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अजमेर के आदेश दिनांक 30.03.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब/बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपीलार्थीगण के द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है एवं साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, के अनुसार अपीलाधीन भूमि कि जिसे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र के श्रीमती कमला रावत को बेचान कर कब्जा संभला दिया एवं वर्तमान जमाबंदी के अनुसार खातेदार दर्ज है, कि जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में श्रीमती कमला को पक्षकार ही नहीं बनाया गया, जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का अपीलाधीन भूमि से कोई सरोकार ही नहीं रहा है। आवेदन पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित कथन मियाद संबंधित अंकित किया है, इसी पैरा में दर्शाए अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2021 का है इसके पश्चात दिनांक 08.04.2021 तक न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से जारी रहा परंतु अपीलार्थीगण के द्वारा दिनांक 30.03.2021 से दिनांक 8.4.2021 के समय के संदर्भ में कोई विधिक कारण ही नहीं दर्शाया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश कोरोना काल के दौरान नहीं सुनाया गया बल्कि दिनांक 30.03.2021 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, इस कारण उक्त आवेदन पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 ने जवाब/बहस में कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1358 जो कि चौसाला जमाबंदी एवं वर्तमान वर्किंग जमाबंदी के अनुसार सिवायचक भूमि दर्ज थी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक व दो का पुश्तैनी समय से कब्जा व काश्त होने के कारण राजस्थान सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.11.1992 की पालना में प्रतिवादीगण संख्या व एक व दो से भूमि की राशि प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या एक व दो के पक्ष में हस्तान्तरण कर नियमन की गई एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के पक्ष में नामान्तरकरण नम्बर 28 दिनांक 15.6.1995 को स्वीकृत किया जाकर वर्तमान जमाबंदी में गैर खातेदारी दर्ज की गई कि इसके पश्चात नामान्तरकरण नम्बर 125 दिनांक 30.1.1996 के अनुसार भी प्रतिवादीगण संख्या एक व दो को खातेदार दर्ज किया गया इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी में विवादित भूमि के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या एक व दो दर्ज है कि जिसे प्रतिवादीगण सख्या एक व दो के द्वारा जरिए पंजीबद्ध बैनामा दिनांक 28.10.2004 के अनुसार श्रीमती कमला पत्नी श्री गिरधारी जाति रावत निवासी लोहागल को ही बैचान कर दी गई एवं दिनांक 28.10.2004 से आज दिवस तक विवादित भूमि का भौतिकी रूप से श्रीमती कमला पत्नी श्री गिरधारी रावत ही काबिज है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से ऐसी स्थिति में उपरोक्त कारणों

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

से अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

10. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 1 की पत्नि एवं अपीलांट संख्या 2 से 4 की माता श्रीमती आशा/वादिया द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 12.5.2006 वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत जरिये प्रतिनिधि दिनांक 12.5.2006 को पेश किया गया है । उक्त वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् उक्त वादी की साक्ष्य में विचाराधीन रहा । उक्त के विचाराधीन रहते दिनांक 17.1.2021 को प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादिया श्रीमती आशा का स्वर्गवास आवेदनकर्ता की जानकारी के अनुसार करीब पांच माह पूर्व हो चुका है तथा इस संदर्भ में वादी की ओर से वारिसान बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे वादिया का वाद अबेट हो चुका है । उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर वादिया श्रीमती आशा के वारिसान पति एवं पुत्रियों ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 15.3.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 जा0दी0 सपठित धारा 5 मियाद व धारा 151 के तहत प्रस्तुत कर मृतक वादिया आशा के वारिसान/प्रार्थीगण को वाद पत्रावली के रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है । उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए विलंब के संबंध में कारण अंकित कर उपशमन को क्षम्य करने का निवेदन भी किया हैं । यद्यपि पक्षकार की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु 90 दिवस की अवधि में आवेदन पेश करना आवश्यक है किन्तु अपीलांटस/प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र कोरोना महामारी होने के कारण समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया जाना अंकित किया है जो उचित एवं सद्भाविक कारण प्रतीत होता है । इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत डी0एन0जे0 2021 (2) पेज 577 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि **"परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5–मियाद का विस्तार–शक्तियों का स्वतः उपयोग–कोविड–19 वायरस होने के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे मुवक्किलों के संबंध में न्यायालय में स्वतः संज्ञान लिया–पूर्व में 14.3.2021 तक मियाद बढ़ाई थी और पुनः तेजी से मामलें बढ़ रहे है और संपनूर्ण राष्ट्र को प्लावित किया–न्यायालय ने तथ्यों का न्यायियक नोटिस लिया–निर्णीत, आदेश दिनांक 23.3.2020 रेस्टोर किया और अगले आदेशों तक मियाद बढ़ाई ।"** उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में अपीलांटस द्वारा कोरोना महामारी के कारण समयावधि में मृतक के वारिसान की कार्यवाही नहीं किया जाना अंकित किया है जो उचित एवं संतोषप्रद कारण है । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को केवल मात्र दो माह के विलंब के आधार पर संपूर्ण वाद को अबेट होना मानकर खारिज करने के बजाय प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । हम न्यायहित में अपीलांटस जो कि मृतक वादिया आशा के विधिक वारिसान है, को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद का गुणावगुण पर परीक्षण कराया जाना न्यायोचित समझते है ।

11. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.3.2021 निरस्त किया जाता है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 5 मियाद व धारा 151 जाप्ता दीवानी को रूपये 500/– की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर अपीलांटस/प्रार्थीगण को मृतक श्रीमती आशा के स्थान पर वादीगण नियुक्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । अपीलांटस 500/–रू0 कोस्ट प्रतिवादीगण को अदा करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर